



20



01. बिजय बहादुर वर्मा तनय अर्जुनदास वर्मा
02. सुशीलकुमार वर्मा तनय अर्जुनदास वर्मा

सिग-3441-II-16

03. सुदर्शन वर्मा तनय अर्जुनदास वर्मा

सभी निवासी रीवा जरिए मुख्यार नरेश कुमार शुक्ला तनय स्व. श्री गंगा प्रसाद शुक्ला निवासी मालवीनगर कामता टोला सतना जिला सतना म.प्र.....निगराकारगण

बनाम

डॉ. अजीत कुमार बनर्जी तनय स्व. श्री जितेन्द्रनाथ बनर्जी निवासी कामता टोला सतना जिला सतना म.प्र.....गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 बिरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना प्रथम तह. रघुराजनगर जिला सतना के रा. प्र.क.96अ12 / 15-16 मे पारित आदेश दिनांक

09.08.16

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ मे निगराकार निम्न लिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर बिनयी है:-

संक्षिप्त तथ्य


निगराकार जो मौजा इटौरा की आ.नं. 47 रकवा 0.78डि. के मालिक एवं स्वामी है उसी से उत्तर की ओर लगी हुई गैरनिगराकार की आ.नं. 46 स्थित है जिसके द्वारा मनमानी तौर पर निगराकारगणो की आराजी मे निर्माण करने में चेष्टा किये जाने पर निर्माण कार्य को रोका जाकर अपनी-अपनी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3441-दो/16

जिला - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक रघुराजनगर के प्रकरण क्र. 96/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी रघुरानगर जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम. शर्मा) सदस्य </p>	

29